2025/181

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री नारायणदान चारण निवासी झांकर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 34 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
30.06.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को दिनांक 02.04.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम झाडौली के खसरा संख्या 2415 क्षेत्रफल 1.0500 गैर मु. पत्थर पर अवैध कब्जा धारक श्री परेश कुमार पुत्र श्री रमेशचन्द्र सोमपुरा हाल सोमपुरा मार्बल औ.क्षे. सिरोही रोड से सम्बन्धित निर्णय व सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत तहसील स्तर पर की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को दिनांक 02.04.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम झाडौली के खसरा संख्या 2415 क्षेत्रफल 1.0500 गैर मु. पत्थर पर अवैध कब्जा धारक श्री परेश कुमार पुत्र श्री रमेशचन्द्र सोमपुरा हाल सोमपुरा मार्बल औ. क्षे. सिरोही रोड से सम्बन्धित निर्णय व सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत तहसील स्तर पर की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner